न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 09/2019

अपीलकर्ता		उत्तरदातागण
1 रमेश कुमार पुत्र बांकाराम जाति जाट निवासी देवाणियों की ढाणी (शिवकर) तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 ग्राम पंचायत शिवकर जरिये सरपंच 2 अणदू पत्नी बांकाराम जाति जाट निवासी देवाणियों की ढाणी (शिवकर) तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री वीरमाराम चौधरी, वकील अपीलकर्ता।
2 पंकज, वकील उत्तरदाता संख्या 02।

आदेश

दिनांक 06/02/20

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 के पिता व पति बांकाराम की खातेदारी का खेत मौजा देवाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 730 रकबा 29.08 बीघा व मौजा शिवकर पटवार क्षैत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1119/112 रकबा 26.05 बीघा, खसरा संख्या 1120/112 रकबा 01.12 बीघा भूमि की आई हुई है। उक्त खेत में उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा उत्तरदाता संख्या 02 के पति व अपीलन्ट के पिता बांकाराम का देहान्त वर्ष 1990 को होने पर जीवित वारिसान में अपीलान्ट रमेश कुमार व उतरदाता संख्या 02 अणदू थे। उक्त फौतगी के नामान्तकरण पर कार्यवाही हुई तब अपीलान्ट नाबालिग था तथा अपीलान्ट की माता अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश की होने से पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 21.01.1991 को रमेश कुमार के स्थान पर खेताराम का बांकाराम के विधिक वारिसान के रूप में गलत अंकन कर दिया। अपीलान्ट को उक्त गलत नामान्तकरण का ज्ञान दिनांक 22.06.2019 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर हुई। जानकारी होने से राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की और यह अपील प्रस्तुत की, जो अन्दर म्याद सुमार की जाकर नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 21.01.1991 खारिज फरमाया जावे तथा खेता के स्थान पर सही नाम रमेश कुमार अंकित किया जावें।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उत्तरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील उत्तरदाता संख्या 02 उपस्थित। वकील उतरदाता संख्या 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

प्रकरण में नतीजे पर पहुचने के लिए तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाना आवश्यक होने से, तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसे सामिल मिसल किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि में बांकाराम की फौतगी के नामान्तकरण पर कार्यवाही हुई तब अपीलान्ट नाबालिग था तथा अपीलान्ट की माता

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

अनपढ़ एवं ग्रामीण परिवेश की होने से उसका घरेलु नाम खेताराम नामान्तकरण में अंकित करवाया, जबकि अपीलकर्ता का राजकीय अभिलेख में सही नाम रमेश कुमार है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 21.01.1991 को रमेश कुमार के स्थान पर खेताराम का नाम बांकाराम के विधिक वारिसान के रूप में अंकित किया, जो अशुद्ध होने से उक्त नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 21.01.1991 को निरस्त किया जाकर नये सिरे से सही नाम रमेश कुमार अंकित करवाने का निवेदन किया।

वकील उतरदाता संख्या 02 का कथन है कि अपीलाधीन भूमि अपीलकर्ता का खेताराम के स्थान पर सही नाम रमेश कुमार अंकित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा भी जांच प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि अपीलाधीन भूमि में अंकित खातेदार खेता का नाम घरेलु बोल चाल का था, परन्तु उक्त व्यक्ति को विद्यालय में दाखिला करवाने पर रमेश कुमार सही नाम अंकित करवाया। अपीलान्ट रमेश कुमार और खेता एक ही व्यक्ति है। अतः उक्त भूमि में अपीलान्ट का नाम रेकर्ड में खेता के स्थान पर रमेश कुमार शुद्ध किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

प्रकट तथ्यों के मद्देनजर अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि अपीलाधीन भूमि मे फौतगी पर पारित नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 21.01.1991 में अपीलकर्ता का नाम अशुद्ध दर्ज हो गया है । उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर शुद्ध नाम से नामान्तकरण पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर मौजा देवाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 730 रकबा 29.08 बीघा व मौजा शिवकर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1119/112 रकबा 26.05 बीघा, खसरा संख्या 1120/112 रकबा 01.12 बीघा भूमि मे पारित नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 21.01.1991 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाडमेर को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता का नाम खेता के स्थान पर रमेश कुमार अंकित करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तकरण पारित करे तथा तदनुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करे।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाडमेर

आदेश आज दिनांक 06/03/20 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाडमेर